सेवा में,

चेयरमैन, ट्राई

नई दिल्ली

मैं सर्व कल्याण सेवा संस्था (पंजी.) के तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने डिजिटलीकरण के संबंध में जो परामर्श पत्र जारी किये गये है, उसमें उपभोक्ताओं को कई मामलों में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

प्रश्नः 1 केबल टीवी सिस्टम में बेसिक सर्विस टायर

उत्तरः (अ) फ्री टू–एयर चैनलों की संख्या क्या होगी?

(ब) क्या इसके लिए कोई मूल्य चुकाना होगा?

(स) क्या यह विभिन्न शहरों के लिए अलग–2 होगा या फिर संपूर्ण देश में एक ही होगा?

प्रश्नः 2 बीएसटी शहरों एवं राज्यों के अनुकूल होना चाहिए। चैनलों को चुनने का विकल्प किसके पास होगा एमएसओ, एलसीओ एवं उपभोक्ता। क्या उपभोक्ता अपनी पसंद की चैनलें चुन सकते है।

प्रश्नः 4 चैनलों के अ–ला–कार्टे दर उपभोक्ताओं के अनुकुल होना चाहिए।

प्रश्नः 5 चैनलों के अ–ला–कार्टे एवं बुके दर का निर्धारण ट्राई ही करें, न की इसे बाजारी ताकत पर छोड़ दें।

प्रश्नः 6 इंटरकनेक्शन रेग्युलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को फायदा मिलें।

प्रश्नः 7 एमएसओ एवं एलसीओ के बीच ग्राहकी राजस्व का बंटवारा उचित फीसदी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में उपभोक्ताओं को भी जानकारी देना जरूरी है।

प्रश्नः 8 सेट–टॉप– बॉक्स की कीमत क्या होगी?क्या अगर भविष्य मे कोई नही तकनीकी आती है तो क्या हमें दूसरा सेट–टॉप–बॉक्स लेना होगा? इसे कैसे खरीदा जाएगा?

प्रश्नः 9 अगर एक घर में तीन टीवी सेट है तो क्या तीनों सेटों के लिए अलग–2 एसटीबी लगा होगा। अगर ऐसा है, तो इससे कीमत बढ़ेगी और साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ेगा?क्या एक घर में एक सेट–टॉप–बॉक्स पर्याप्त नहीं है।

प्रश्नः 10 अधिकतर लोकप्रिय चैनलों पर कार्यक्रमों के बीच में काफी विज्ञापन दिखाये जाते है, जबकि उपभोक्ता कार्यक्रम देखने के लिए भुगतान करता है, तो फिर वह विज्ञापन देखने के लिए क्यों भुगतान करें।

प्रशनः 11 अगर एक उपभोक्ता सेट–टॉप–बॉक्स नहीं लेना चाहता है तो क्या उसे मनोरंजन से महरूम होना पड़ेगा या फिर ऐसे उपभोक्ताओं के लिए कोई विकल्प है?

धन्यवाद

रेवंत मिश्रा

महासचिव सर्वकल्याण सेवा संस्था (पंजी)

ए–51/ए, गली नं० – 10,

राज नगर, पार्ट –।।

नजदीक गायत्री मंदिर

नई दिल्ली–110045